

1885

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

क्रमांक...../ 
/ दो-15-3/90

// विविध आदेश //

रीवा, दिनांक 23/08/2025

कार्यविभाजन पत्रक अनुसार महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमती अनु सिंह, 17वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय को होने के फलस्वरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री यशपाल सिंह, 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक-58/2025 म0प्र0 राज्य वि0 सुनील कुमार पटेल वगै0 को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्रीमती अनु सिंह, 17वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

54-
(राकेश मोहन प्रधान)

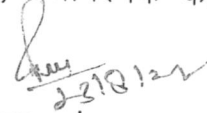
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0...../ 
/ दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 23/08/2025

प्रतिलिपि:-

1. 16वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा की ओर सत्र प्रकरण क्रमांक-58/2025 म0प्र0 राज्य वि0 सुनील कुमार पटेल वगै0 का मूल प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
2. 17वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)